

प्रेषक,

कु० रिकू जिन्दल,
अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, सिद्धार्थनगर ।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, सिद्धार्थनगर ।

विषय:- लुम्बनी व पोखरा (नेपाल) पर्यटन हेतु जाने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि जनपद सिद्धार्थनगर से लुम्बनी (नेपाल) मात्र 29 किलो० मीटर व पोखरा (नेपाल) 240 किलो० मीटर दूर स्थित है। कार से लुम्बनी जाने के लिए मात्र आधा घन्टा का समय व पोखरा जाने के लिए मात्र चार घन्टे का समय लगता है। लुम्बनी दर्शन के लिए रात्रि विश्राम की आवश्यकता नहीं है और सुबह जाकर सायं को आसानी से सिद्धार्थनगर वापस आया जा सकता है और पोखरा के लिए मात्र एक रात्रि विश्राम की आवश्यकता है। प्रार्थिनी किसी भी अवकाश के दिन यानि रविवार को लुम्बनी व किसी भी दो अवकाश दिन यानि द्वितीय शनिवार एवं रविवार व चतुर्थ शनिवार एवं रविवार को पोखरा पर्यटन हेतु जा सकती है। दोनों स्थानों पर जाने के लिए पास पोर्ट व वीजा की आवश्यकता नहीं है और यात्रा व्यय भी अपनी कार से जाने पर लुम्बनी के लिए मात्र 2000/-रु० (दो हजार रु०) और पोखरा के लिए लगभग 10000/-रु० (दस हजार रु०) होगा।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थिनी को लुम्बनी व पोखरा (नेपाल) पर्यटन हेतु जाने के लिए किसी भी द्वितीय शनिवार व रविवार एवं चतुर्थ शनिवार व रविवार को अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

सादर।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर, दिनांक-29-06-2022

क्रमांक..584/PC/SDR D 29/6/2022

प्रार्थिनी

Rakesh Shrestha
29/6/2022

अपर प्रधान न्यायाधीश

परिवार न्यायालय, सिद्धार्थनगर।

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय सिद्धार्थनगर
दिनांक 29.6.22